

FORM-I  
(For Linear Projects)  
**Government Of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector, Chamoli**

Dated- 24.04.2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.730 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Rural Development Department, Uttarakhand** for **Construction of B.M.B Motor Road km-25 to Syuni Talli Motor Road under PMGSY in Chamoli** district falls within jurisdiction of village **Syuni Talli village in Gairsain Tehsil.**

It is further certified that:-

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.730 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

Signature

Name: Ashok Kumar (IAS)

**Office of the District Collector,**  
District-Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under  
Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA),  
2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of **Shri Ashok Kumar (IAS)**, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 24.4.2015 at 13.00hrs at Chamoli in which the application claiming rights in Syuni Talli village in Gairsain Tehsil, area measuring 2.730 Hectares for the Construction of B.M.B Motor Road km-25 to Syuni Talli Motor Road under PMGSY in Chamoli of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Gairsain Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.



District Magistrate – cum –  
Chairman, District Level  
Committee, Chamoli

जिलाधिकारी  
चमोली

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बी0एम0बी0 मोटर मार्ग किमी0-25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

### कार्यालय उपजिलाधिकारी,

### अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- गैरसैण।

उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बी0एम0बी0 मोटर मार्ग किमी0-25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ( 2.380 है0) आरक्षित वन भूमि- 0.350 है0 सिविल एवं सोयम वन अर्थात कुल 2.730 है0 वन भूमि) ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील- गैरसैण) की दिनांक 03.03.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री के0एस0नेगी, उपजिलाधिकारी, एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

1	श्री के0एस0नेगी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	श्री प्रताप सिंह बुटोला	उपप्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3	श्री सुरेन्द्र लाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4	श्री आनन्द राम	क्षे0प सदस्य मरोडा, गैरसैण	सदस्य
5	श्रीमती रामेश्वरी देवी	क्षे0प सदस्य खेती-बेडी, गैरसैण	सदस्य
6	श्री गोविन्द सिंह	क्षे0प सदस्य रोहिडा, गैरसैण	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि बी0एम0बी0 मोटर मार्ग किमी0-25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.730 है0 भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, केदारनाथ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

(2)

बी0एम0बी0 मोटर मार्ग किमी0-25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.730 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रतयावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

*33/3/2018*  
उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील-गैरसैण

जनपद-चमोली।

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*अधीक्ष*

*33/3/2018*  
उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति





तहसील-गैरसैण

जनपद-चमोली।

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बी0एम0बी0 मोटर मार्ग किमी0-25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

दिनांक 3/3/2015, उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

जनपद-चमोली।

क्रम सं०	नाम	पदनाम	कमेटी मे पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री के०एस०नेगी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	
2	श्री प्रताप सिंह बुटोला	उपप्रभागीय वनाधिकारी/वन प्रोत्सायिका	सदस्य	
3	श्री सुरेन्द्र लाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	
4	श्री आनन्द राम	क्षे०प सदस्य मरोडा, गैरसैण	सदस्य	
5	श्रीमती रामेश्वरी देवी	क्षे०प सदस्य खेती-बेडी, गैरसैण	सदस्य	
6	श्री गोविन्द सिंह	क्षे०प सदस्य रोहिडा, गैरसैण	सदस्य	

सदस्य क्षेत्र पंचायत  
घाई सं० 24 रोहिडा  
विण्डख० गैरसैण (चमोली)

परियोजना का नाम:— बी0एम0बी0 मोटर मार्ग के किमी0 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

ग्राम पंचायत का नाम स्यूणी तल्ली  
तहसील - गैरसैण, जिला-चमोली।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत बी0एम0बी0 मोटर मार्ग के किमी0 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु (2.380 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.350 हे0 सिविल सोयम भूमि शून्य हे0, वन पंचायत भूमि ) अर्थात कुल 2.730 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास-विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत स्यूणी तल्ली द्वारा दिनांक 27-02-15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम स्यूणी तल्ली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि -ग्राम्य विकास विभाग—-प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव  
मुहर सहित  
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत - स्यूणी तल्ली  
दि० 27-02-15  
वि० ख० - गैरसैण (चमोली)

ह0/-

ग्राम प्रधान/सरपंच  
मुहर सहित



दिनांक 24.12.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत स्यूणी तल्ली।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01	श्री. राजेन्द्रसिंह रावत	[Signature]
02	" देवानसिंह बिष्ट	[Signature]
03	" गव्वरसिंह "	[Signature]
04	" राजेन्द्रसिंह "	[Signature]
05	" नन्दनसिंह "	[Signature]
06	" संग्रामसिंह परसारा	[Signature]
07	" विशुपालसिंह नेगी	[Signature]
08	" दिनेशसिंह "	[Signature]
09	" इन्द्रसिंह रावत	[Signature]
10	" दीपकसिंह नेगी	[Signature]
11	[Signature]	[Signature]
12	[Signature]	[Signature]
13	[Signature]	[Signature]
14	मनोजसिंह / राजेन्द्रसिंह	[Signature]
15	" नन्दसिंह परसारा	[Signature]
16	" सुरेन्द्रसिंह नेगी	[Signature]
17	केशवासिंह परसारा	[Signature]
18	गंगासिंह परसारा	[Signature]
19	मानभाइनासिंह परसारा	[Signature]
20	[Signature]	[Signature]
21	दामनसिंह	[Signature]
<del>22</del>		
<del>23</del>		

ह0/-  
ग्राम प्रधान  
स्यूणी तल्ली  
दि 24/12/15  
रख गौरसैण चिमोली